संख्या-13/2024/I/692345/2024/तेइस-7-2024-23-7099(099)/13/2023

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (व्यवस्थापन 'घ' वर्ग),
लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2024

विषय:-श्रीमती शालिनी सिंह, वास्तुविद मानचित्रकार की माता श्रीमती ऊषा सिंह के उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-1400 व्यघ/6704 व्यघ/2003, दिनांक 06.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में श्रीमती शालिनी सिंह, वास्तुविद मानचित्रकार की माता श्रीमती ऊषा सिंह की चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि का प्रतिपूर्ति दावा मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के नियम-23 एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम-20 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत श्रीमती शालिनी सिंह, वास्तुविद मानचित्रकार की माता श्रीमती ऊषा सिंह के के0के0 अस्पताल, लखनऊ में दिनांक 12.01.2022 से 02.02.2022 तक कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि रू0 7,98,469.00 (रूपये सात लाख अट्ठानवे हजार चार सौ उनहत्तर मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू0 6,62,076.00 (रूपये छः लाख बासठ हजार छिहत्तर मात्र) के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को विलम्बमर्षित करते हुए धनराशि रू0 6,62,076.00 की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-54 के अधीन लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-निदेशन के 49-चिकित्सा व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणित वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-13/2024/I/692345(1)/तेइस-7-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-ज्येष्ठ वास्तुविद, तृतीय इकाई, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6-श्रीमती शालिनी सिंह, वास्तुविद मानचित्रकार, वास्तुविद वर्ग, तृतीय इकाई, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7-गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणित वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।